

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2662/2026

Ashish @ Ashu Agrawal S/o Shri Ramesh Chandra, Aged About 41 Years, R/o Akra Bhatta, Aburoad. At Present R/o Mahadev Residency, Rishikesh Road, Back Side Of Ganesh Mandir, Police Station Aburoad Sadar, Aburoad, District Sirohi (Raj.)
(Petitioner Is Confined In Aburoad Jail)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

-----Respondent

For Petitioner(s)	: Mr. Jay Prakash Bhardwaj
For Respondent(s)	: Mr. Sameer Pareek, Addl. G.A.

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

28/03/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पुलिस थाना सरुपगंज जिला सिरोही में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 264/2023 अपराध अन्तर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से अवैध शराब बरामद नहीं हुई है, वरन् जितेन्द्र सिंह के कब्जे से बरामद हुई है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 12.02.2026 से अभिरक्षा में है, उसके विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त पर 19/54डी राजस्थान आबकारी अधिनियम का आरोप रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त तथा अन्य अभियुक्तगण की कोई कॉल डिटेल पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, न ही वक्त घटना कोई बातचीत हुई है। सहअभियुक्त ईश्वरसिंह व रावतसिंह की जमानत न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट पिंडवाडा से

हो चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध जो मुकदमों की सूची बताई गई है, उसमें से वह 17 प्रकरणों में दोषमुक्त हो चुका है एवं अन्य प्रकरण विचाराधीन हैं। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है, उसके द्वारा गवाहों को डराने अथवा धमकाने का अंदेशा नहीं है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध 31 आपराधिक प्रकरण दर्ज रहे हैं, जिसमें 3 प्रकरण राजस्थान आबकारी अधिनियम के दर्ज हैं। अतः प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में जितेंद्र सिंह जिसके कब्जे से आबकारी पदार्थ बरामद होना बताया गया है, जिसका जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 13669/2023 आदेश दिनांक 02.11.2023 को इस न्यायालय की समकक्ष पीठ के द्वारा स्वीकार की जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 12.02.2026 से अभिरक्षा में है, उसके विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अन्य प्रकरणों में से 17 प्रकरणों में उसका दोषमुक्त होना बताया गया है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों तथा प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए तथा इस न्यायालय द्वारा पारित विनिश्चय वारिस उर्फ लहकी व अन्य समेकित प्रकरण एकलपीठ आपराधिक जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 2242/2026 आदेश दिनांक 27.03.2026 में अभिनिर्धारित सिद्धांत को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण-दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को सामुदायिक सेवा की शर्त के साथ जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त आशीष उर्फ आशु अग्रवाल पुत्र रमेशचंद्र की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु एक लाख रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास-पचास हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तथा निम्नानुसार सामुदायिक सेवा करने के संबंध में वचनपत्र (अण्डरटेकिंग) प्रस्तुत करे व उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

सामुदायिक सेवा के अंतर्गत प्रार्थी/अभियुक्त को निर्देश दिया जाता है कि वह अपने गांव/शहर, जहां का वह निवासी है, उसे उस स्थान पर 30 दिवस तक प्रत्येक दिवस 5 वृक्षों का वृक्षारोपण करना सामुदायिक सेवा के तौर पर अनिवार्य होगा। उक्त वृक्ष जिला वन अधिकारी द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त को निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे।

विद्वान विचारण न्यायालय को यह निर्देशित किया जाता है कि वह इस आदेश के संबंध में संबंधित जिला वन अधिकारी को सूचित करे तथा उक्त जिला वन अधिकारी प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उपरोक्त सामुदायिक पूर्ण करने के संबंध में रिपोर्ट मय फोटो व वीडियो विचारण न्यायालय को प्रेषित करेगा।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J